01/12/25

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित बहस
सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर पत्रावली शामिल मिसल गयी। पत्रावली
फैसल शुमार के नम्बर में दर्ज होकर
पत्रावली जिला लेख नम्बर में शामिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
64 / 2025	23.04.2025	01.12.2025

बउनवान

1. लालाराम यादव पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी चॉदपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री नरेन्द्र चौधरी :– वकील वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नम्बरान 1921 रकबा 0.08 है0, 2164 रकबा 0.05 है0, 2168 रकबा 0.06 है0, 2169 रकबा 0.06 है0, 699 रकबा 0.05 है0, 699 रकबा 0.05 है0, 808 रकबा 0.10 है0, 809 रकबा 0.09 है0, 873 रकबा 0.18 है0, 1048 रकबा 0.12 है0, 1049 रकबा 0.15 है0, 1205 रकबा 0.11 है0, 1206 रकबा 0.13 है0, 1293 रकबा 0.11 है0, 1302 रकबा 0.11 है0, 1304 रकबा 0.15 है0, 1305 रकबा 0.14 है0, 2001 रकबा 0.24 है0, 2002 रकबा 0.09 है0, 2004 रकबा 0.09 है0, 2070 रकबा 0.01 है0, का 1/6 भाग वाके ग्राम चॉदपुर तह० मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी मिन वादी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही है तथा मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है, तथा आराजी बाबत अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नही है। इसलिए सहखातेदारान को दावा में पक्षकार नही बनाया गया है।
3. यह है कि है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिर्कोड मिन वादी नाभ खिलाफ मौका व खिलाफ कानून लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल के स्थान पर लालसिंह पुत्र रामजीलाल दर्ज कर दिया। जिस अंकन के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्व रिर्कोड में दर्ज रहने से मिन वादी को भारी नुकसान हो रहा है तथा मिन वादी आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है। इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दुरुस्त है। जिसे दुरूस्त किया जाये। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

4. यह है कि विवादित आराजी मिन वादी के कब्जेकारत की आराजी रही है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादी का नाम राजस्व रिकॉड में दर्ज करते समय लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल के स्थान पर लालसिंह पुत्र रामजीलाल खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व पैशन कार्ड, जन आधार कार्ड में मिन वादी का नाम लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल ही दर्ज है मात्र उकत राजस्व रिकॉड में ही मिन वादी का नाम लालसिंह पुत्र रामजीलाल दर्ज है, जो गलत है. जबकी मिन वादी का नाम लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल है जो सही है. इसलिए न्यायहित में मिन बादी का नाम राजस्व रिर्कोड में दर्ज लालसिंह पुत्र रामजीलाल के नाम का अंकन को हजफ कर, उसके स्थान पर लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल दर्ज किया किया जावे तथा उक्त लालसिंह पुत्र रामजीलाल के नाम का अंकन को हजफ कर, लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल दर्ज करने से किसी भी काश्तकार को कोई नुकसान कारित नहीं होता है तथा राजस्व रिर्कोड में मिन वादी का नाम लालसिंह दर्ज रहने से मिन वादी को काफी परेशानी हो रही है तथा मिन वादी आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रही है, इसलिए न्यायहित में मिन वादी का नाम लालसिंह को हजफ कर, उसके स्थान पर लालाराम यादव दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉड दूरुस्त फरमाया जावे।

5. यह है कि आराजी मुतनाजा में वादीया के नाम का गलत इन्द्राज हो जाने से वादीया के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा वादी अपनी आराजी में नाम गलत इन्द्राज होने से सुविधाजनक तरीके से उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रही है। वादी का नाम गलत लिखा जाने से वादी आराजी का तबादला, क्रेडिट कार्ड बनवाने, आदि से महरूम हो रही है तथा आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही है।

6. यह है कि दिनांक 3/10/2023 को मिन वादी को राजस्व रिकॉड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो मिन वादी को जानकारी हुयी कि राजस्व रिर्कोड में भिन वादी का नाम लालाराम यादव के स्थान पर लालसिंह दर्ज है. इस पर मिन वादी ने राजस्व रिकॉड दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी स0 1 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व रिर्कोड दूरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम अदालत से नाम दुरुस्त

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

करावो। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती राजस्व रिकॉड पेश किया जाना लाजिमी आया है।

7. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 3/10/2023 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा राजस्व रिकॉड दूरुस्त करने से मना करने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

8. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिर्कोड का पेश किया जा रहा है। जिसमें राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय को मुख्य पक्षकार बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ बाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिला नोटिस दिये वादपेश करने की इजाजत हेतु अलग से वादपत्र के साथ धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्त इस अमर की पारित की जाकर आराजी हाल ख०नम्बरान 1921 रकबा 0.08 है0, 2164 रकबा 0.05 है0, 2168 रकबा 0.06 है0, 2169 रकबा 0.06 है0, 699 रकबा 0.05 है0, 699 रकबा 0.05 है0, 808 रकबा 0.10 है0, 809 रकबा 0.09 है0, 873 रकबा 0.18 है0, 1048 रकबा 0.12 है0, 1049 रकबा 0.15 है0, 1205 रकबा 0.11 है0, 1206 रकबा 0.13 है0, 1293 रकबा 0.11 है0, 1302 रकबा 0.11 है0, 1304 रकबा 0.15 है0, 1305 रकबा 0.14 है0, 2001 रकबा 0.24 है0, 2002 रकबा 0.09 है0, 2004 रकबा 0.09 है0, 2070 रकबा 0.01 है0, का 1/6 भाग वाके ग्राम चॉदपुर तह० मुण्डावर में दर्ज मिन वादी का नाम लालसिंह पुत्र रामजीलाल को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे व इसी प्रकार से मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि –:

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1. ग्राम चांदपुर आरजी खसरा नंबर 1921, 2164, 2168, 2169, 699, 808, 809, 873, 1048, 1049, 1205, 1206, 1293, 1302, 1304, 1305, 2001, 2002, 2004, 2070 में काश्तकार लाल सिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 अहीर सा देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं।
2. उक्त खसरा नंबर पर नामांतरण संख्या 667 विरासत द्वारा लाल सिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीर सा देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं।
3. प्रार्थी द्वारा से सलग्न दस्तावेज उक्त आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड अनुसार लालाराम यादव पुत्र श्री राम जी लाल दर्ज रिकार्ड हैं।
4. उपरोक्त के संबंध में ग्राम में पूछताछ करने पर लाल सिंह उर्फ लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया गया।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, पीपीओ कार्ड, पैनकार्ड, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के आदेश प्रति, पहचान पत्र की छायाप्रति पेश किया गया।

बहस (संक्षिप्त – वादी पक्ष)
माननीय न्यायालय महोदय, वादी पक्ष की ओर से निवेदन है कि विवादित आराजियाँ वादी के हिस्से में 1/6 भाग में काबिज–कास्त रही हैं। वादी का वास्तविक नाम लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल है, जो उसके सभी पहचान–दस्तावेजों–आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, जन–आधार, पहचान पत्र आदि– में स्पष्ट रूप से दर्ज है।

किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में गलतफहमी अथवा राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण वादी के वास्तविक नाम लालाराम के स्थान पर लालसिंह पुत्र रामजीलाल दर्ज कर दिया गया है।

प्रतिवादी स्वयं अपने जवाब में स्वीकार कर चुके हैं कि ग्राम में की गई पूछताछ में लालसिंह उर्फ लालाराम एक ही व्यक्ति बताया गया तथा नामांतरण भी विरासत के आधार पर हुआ है। जब वादी के समस्त दस्तावेज एक ही व्यक्ति को प्रमाणित करते हैं, और प्रतिवादियों की ओर से कोई आपत्ति, विवाद या प्रतिकूल प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो केवल राजस्व रिकॉर्ड में गलत लिखे गये नाम को दुरुस्त करना मात्र कानूनी औचित्य ही नहीं, बल्कि न्यायहित में भी आवश्यक है।

गलत नाम दर्ज रहने से वादी को अपने कृषि कार्य, ऋण, क्रेडिट कार्ड, भूमि से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं सहित अनेक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जबकि नाम–दुरुस्ती से किसी अन्य काश्तकार अथवा सहखातेदार के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अधिकार प्रभावित नहीं होते। अतः वादी का दावा तथ्यात्मक, विधिसम्मत एवं न्यायोचित है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

संक्षिप्त विवेचन

1. वाद का प्रकृति

यह वाद धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इश्तहार–हक एवं दुरूस्ती इन्द्राज संबंधी है, जिसमें वादी ने राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम प्रविष्टि को दुरुस्त करने का निवेदन किया है।

2. विवादित आराजी और कब्जा

प्रस्तुत खसरा नंबरों में वादी को 1/6 हिस्से में काश्तकार/सहखातेदार के रूप में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी की ओर से भी वादी के कब्जे या काश्तकारी को लेकर कोई प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया।

3. नाम गलत दर्ज होने की पुष्टि

वादी के सभी सरकारी दस्तावेज–आधार कार्ड, पैन कार्ड, पीपीओ कार्ड, पहचान पत्र–में लालाराम पुत्र रामजीलाल नाम दर्ज है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि – ग्राम में पूछताछ पर लालसिंह उर्फ लालाराम एक ही व्यक्ति पाया गया। नामांतरण विरासत द्वारा वादी के ही आधार पर हुआ। अतः यह सिद्ध है कि राजस्व रिकॉर्ड में लालसिंह का अंकन clerical/record error है।

4. दावे के समयबद्ध एवं अधिकारपूर्ण होने की स्थिति

गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को 03.10.2023 को मिली, उसी दिन हल्का पटवारी से नकल प्राप्त कर त्रुटि का पता चला तथा प्रतिवादी–1 द्वारा दुरुस्ती से मना किए जाने पर यह दावा अवधि में प्रस्तुत हुआ है।

5. किसी अन्य काश्तकार को हानि नहीं

नाम दुरुस्ती मात्र रिकॉर्ड सुधार से सम्बंधित है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के हक–हुकूक प्रभावित नहीं होते। अतः दावा स्वीकार्य व न्यायसंगत है।

6. राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती न्यायहित में आवश्यक

गलत नाम बने रहने से वादी को भूमि उपयोग, कृषि योजनाओं, बैंकिंग प्रक्रिया, दस्तावेजी कार्यवाही में परेशानी हो रही है। अतः दुरुस्ती आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रमाण, दस्तावेज एवं प्रतिवादी पक्ष की स्वीकृति से पूर्णतः सिद्ध, प्रमाणित एवं स्वीकार योग्य है।

आदेश

वादी का वाद पूर्णतः स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजियों–खसरा नं. 1921, 2164, 2168, 2169, 699, 808, 809, 873, 1048, 1049, 1205, 1206, 1293, 1302, 1304, 1305, 2001, 2002, 2004, 2070 वाके ग्राम चॉदपुर तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में हो रहे "लालसिंह पुत्र रामजीलाल" के अंकन को हजफ (Delete) कर "लालाराम यादव पुत्र श्री रामजीलाल" राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाये। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
64 / 2025	23.04.2025	01.12.2025

बउनवान

1. लालाराम यादव पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी चॉदपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री नरेन्द्र चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 01.12.2025** को **श्री सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिकी जारी की जाती है :–

विवादित आराजियों–खसरा नं. 1921, 2164, 2168, 2169, 699, 808, 809, 873, 1048, 1049, 1205, 1206, 1293, 1302, 1304, 1305, 2001, 2002, 2004, 2070 वाके ग्राम चॉदपुर तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में हो रहे "लालसिंह पुत्र रामजीलाल" के अंकन को हजफ (Delete) कर "लालाराम यादव पुत्र श्री रामजीलाल" राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाये।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)